(3)

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
द्वारा आज दि 20/4/15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी 828-II-15

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण

कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री द्वारा ओमप्रकाश ओझा पुत्र श्री राधाकिशनजी ओझा निवासी– ग्राम नागदा तहसील नागदा जिला उज्जैन, म0प्र0 ——— **आवेदक**

ओमप्रकाश ओझा

बनाम

1. म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा जिला उज्जैन, म0प्र0
2. नगर पालिका परिषद नागदा जिला उज्जैन म0प्र0 ——— **अनावेदकगण**

अनिल कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
20.4.15

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 01/09/2014, प्रकरण कमांक 399/14/अपील व उनवान कृष्णा जीनिंग फैक्ट्री अपीलार्थी बनाम म0प्र0 शासन आदि प्रत्यर्थीगण, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक/अपीलार्थी की अपील तो ग्राहय कर ली, परन्तु स्थगन नही दिया, जिससे तहसीलदार नागदा द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण कमांक 54/अ–68/2014–15 दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

27-7-2015

माननीय महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 828–दो/2015 जिला उज्जैन

कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री द्वारा म0प्र0 शासन आदि

ओमप्रकाश ओझा पुत्र श्री राधाकिशन विरूद्ध

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–8–2015	आवेदक एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि विवादास्पद भूमि आवेदक के पूर्वजों की है जिन्होंने वर्ष 1911–12 में कृष्णा जीनिंग फैक्ट्री स्थापित थी। शासन ने कभी उसको पट्टा नहीं दिया था और यह भूमि पूर्णतः आवेदक के आधिपत्य की है। अतः उस भूमि से आवेदक को बेदखल करने संबंधी आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय में आवेदक ने याचिका लगाई थी जिसके आदेश दिनांक 24–10–2013 के तारतम्य में अपर कलेक्टर उज्जैन न्यायालय ने कार्यवाही की तथा दिनांक 30–5–14 को आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। इसके विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के यहां अपील प्रस्तुत की, जिसमें अपर आयुक्त उज्जैन ने दिनांक 1–9–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील ग्राह्य कर ली, परन्तु स्थगन प्रदान नहीं किया, अपील लम्बित रहने के बावजूद तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादास्पद भूमि के संबंध में बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। अतः अपर आयुक्त के अंतिम निराकरण तक आदेश दिनांक 30–5–2014 का कियान्वयन स्थगित रख कर तहसीलदार नागदा के प्रचलित प्रकरण कमांक 54/अ–68/2014–15 में प्रचलित संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही	

स्थगित रखी जाये। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 20–4–2015 को तीन माह के लिए स्थगन दिया था तथा दिनांक 20–7–15 को पुनः आगामी तीन माह तक के लिए स्थगन दिया है। अतः स्थगन निरन्तर रखा जाए।

3/ चूंकि तहसीलदार नागदा द्वारा अतिकमण हटाने की कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय से स्थगन दिया गया है, अतः तहसीलदार नागदा के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को विचार में लिया गया तथा शासकीय अभिभाषक के साथ उन्हें भी सुना गया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक को दिये गये स्थगन को निरंतर रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आवेदक ने जानबूझकर महत्वपूर्ण एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये इस न्यायालय से एकपक्षीय रूप से दिनांक 20–4–2015 को स्थगन लिया था जिसकी विधिवत सूचना अनावेदक को नहीं दी गई तथा दिनांक 20–7–15 को पुनः एक पक्षीय रूप से स्थगन प्राप्त किया है एवं दिनांक 27–8–15 तिथि निर्धारित कर दी है। प्रकरण सार्वजनिक महत्व का है अतः शीघ्र सुनवाई का आवेदन स्वीकार किया जाए। अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि इस प्रकरण में विचाराधीन भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 3.585 शासन में वैष्ठित करने के आदेश दिनांक 2–7–2014 को हो चुके हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पर आवेदक का न तो कब्जा है और न ही स्वत्व है। दिनांक 2–7–2014 के आदेश का क्रियान्वयन किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य भी शासन द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–5–2014 तथा तहसीलदार नागदा द्वारा बेदखली की

कार्यवाही के विरूद्ध आवेदन द्वारा एक अपील अपर आयुक्त उज्जैन के समक्ष दिनांक 19–8–2014 को प्रस्तुत की गई थी, जो अभी प्रचलित है। अपर आयुक्त न्यायालय में अंतिम निराकरण होना शेष है। अतः ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश निरस्त कर निगरानी भी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अभिलेख एवं अनावेदक अभिभाषक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया। अनावेदक अभिभाषक ने तहसीलदार द्वारा विचाराधीन भूमि पर कब्जा लेने संबंधी सूचना पत्र, कब्जा पंचनामा एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 2–7–14 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि शासन द्वारा आवेदक से प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। आवेदक ने अपर कलेक्टर के जिस आदेश दिनांक 30–5–14 तथा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–9–2014 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 20–4–2015 को प्रस्तुत की है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि विचाराधीन भूमि का कब्जा अनावेदक शासन द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं उक्त कब्जा आदेश के विरूद्ध अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही की जानकारी आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई है। अपर आयुक्त न्यायालय में अपील प्रकरण प्रचलित है जिसमें अंतिम निराकरण अभी होना है। आवेदक द्वारा तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–7–14 को विचाराधीन भूमि के कब्जा लेने के तथ्य इस न्यायालय से छुपा कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। उक्त दर्शित

प्रकरण कमांक निगरानी 828–दो/2015 जिला उज्जैन

कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री द्वारा विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

ओमप्रकाश ओझा पुत्र श्री राधाकिशन

परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा पूर्व पेशी दिनांक 20–7–15 को दिया गया स्थगन निरन्तर रखने का कोई औचित्य नहीं होने से अपास्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त को गुण–दोषों के आधार पर उनके न्यायालय में लम्बित अपील प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश के साथ निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य